15.58 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE:
DISAPPROVAL OF MAINTENANCE
OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND MOTION
RE DISAPPROVAL OF PRESIDENTIAL ORDER SUSPENDING CITIZENS' RIGHT TO MOVE A COURT
AGAINST DETENTION ORDERS
UNDER MISA AND CONSERVATION
OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITTES BILL—contd

MR. DEPUTY-SPEAKER. We will now take up the Statutory Resolution on the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, the motion on the Presidential Order and the Conservation of Foreign Exchange and prevention of Smuggling Activities Bill. Shri Atal Bihari Vajpayee will continue his speech.

श्री सटल बिहारी वाजपेबी (ग्वालियर) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी माग है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की प्रध्यक्षता में एक उच्चाधिकार-सम्पन्न प्रायोग बनाया जाय, जो राजनीतिक नेताक्यो तथा सरकारी प्रक्रसरो के साथ नस्वरो की माठ-गाठ की जाच करे।

भाज प्रधान मली और उन की सरकार यह दावा कर रहे है कि तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही कर के उन्होंने बड़ा साहसपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि श्चाज तक इस सरकार ने तस्करों के प्रपराधो पर लीपा-पोती करने का काम किया है। 1970 में ले कर 1974 तक की ससद की कार्यवाही इस बात की साक्षी है कि विरोधी दलों के सदस्यों ने राजनीतिक नेताओं क साथ तस्करों की साठ-गाठ का सवाल वार-बार उठाया, भीर हर बार सरकार की घोर से टाल-मटोल करने वाले जबाब दिये गये, राजनैतिक नेताओं के भाचरणो की जांच नहीं की गई, तस्करो के साथ रियायते बरती गई' उन्हे पासपोर्ट बिये गये, उन्हें 'पी' फ़ार्म दिये गये, रिजर्व बैक

से उन्हें विदेशी शुद्धा दी गई, भीर जो तस्वर विरक्षतार भी कर लिये जाते थे, वे जल्दी से जमानत पर छूट जाये, इम तरह का प्रवन्ध किया जाता था।

मेरे सामने 1 ब्रप्रैल 1970 की लोक सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट हैं। श्री जार्ज फ़रनेडींज ना एक प्रक्रम था— मैं उस को पढ़ रहा हूं—

"क्या हार्जा मस्तान मिर्जा को 1966 में बम्बई के रिजनल पास्पोर्ट फ्रफ़सर ने पास्पोर्ट देने से इन्कार किया था? क्या बाद मे उसे पासपोर्ट दिया गया ? किम की मिफ़ रिश पर? क्या सरकार को पता है कि इस समय मस्तान तस्टर्श के जुर्म मे हिरासत मे है ? क्या सरकार उस का पास्पोर्ट रह करेगी?"

उत्तर देने वाले विदेश उपमर्वा, श्री सुरेन्द्र-पाल सिंह में। उन का उत्तर इस प्रकार था:

"1961 मीर 1963 में हाजो मस्तान मिर्जा की पास्पोर्ट की मजी नामजूर कर दी गई थी। उसे 7 नवस्वर, 1966 को पास्पोर्ट एक साल के लिए दिया गया—गुजरात के गवर्नर ने उसे प्रच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र दिया, उस के माघार पर। 23 सितस्वर, 1969 की नई दिल्ली के राजस्व खुफियागिरी निदेशालय ने रपट दी थी कि मस्तान के घर से तस्करी का माल बस्बई कस्टम मिर्मिंगियों ने 19 जुलाई, 1969 को बरामद किया है। उसे 20 जुलाई को गिरफ्तार कर बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।"

उस समय गुजरात के राज्यपाल श्री नित्यानन्द कानूनगो । उन्होंने पास्पोर्ट की

सिफारिश करते हुए जी प्रमाण पत्र दिया. वह इस प्रकार है:

> "मैं श्री हाजी मस्तान मिर्जा को बम्बई के श्री प्रस्तर सैयद के माध्यम से बहुत ग्रच्छे चारित्रिक इतिहास वाले एक भारतीय नागरिक के रूप में जानता हूं। वह प्रपने रिश्तेदारों की देखभाल के लिए ग्रदन जाना चाहते हैं । यह बहुत जरूरी है कि वह मीघ्र यात्रा करें, जिस के लिए ग्रावश्यक काराजात उन्हें प्रदान किये जायें।"

जब यह मामला मेरे मित्र, श्री मधु लिमये ने 18 मार्च को उठाया. तो सरकार की ग्रोर से बहा गया विः जांच हो रही है । बाद में श्री वाननगो ने कहा कि मेरे दस्तखत जाली बनाये गये हैं । तब सदन में यह मांग की गई कि अगर हाजी मस्तान मिजा ने जाली दस्तख़त बनाये हैं, तो उस पर जालसाजी का मुकदमा चलना चाहिए। लेबिन बम्बई के प्रौजीडेंसी मैजिस्टेट ने फ़्रीसला किया ...

श्री मधु लिमये (बांका): श्रीर हाई कोर्ट ने उल की ताईद की ।

श्री घटलं बिहारी वाजपेयी : . . . कि वे दस्तख़त जाली नहीं थे, वल्कि वे श्री बानुस्मो केसड़ी दस्तखुत थे। एक क्ख्यात तस्यार राज्यपाल से प्रमाणपत प्राप्त करने में कैसे सफल हो गया ?

इतना ही नहीं, हाजी मस्तान मिजी को विशेश कैटेगरी का टेलीफ़ोन गया । यह मामला भी 2 अप्रैल 1970 को श्री जार्ज फरनेंडीज ने उठाया। मैं उन का प्रश्न पढ़ना चाहता हूं :

> "क्या यह सच है कि हाजी मस्तान नाम के घादमी को, जो कि वैतुल

61/1, वार्डन रोड. बम्बई-26 में रहता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में "मुक्त श्रेणी (विशेष) में टेली-फ़ोन कनेक्शन (मं० 359358) दिया गया है

इस श्रेणी के लिए इस की सिफारिश किन लोगों ने की थी ? क्या बम्बई टलीफ़ोन विमाग ने हाजी मस्तान की समाज सेवा के बारे में पूछ ताछः. की? क्यायह सच है कि पहले एक बार उसे 'मुक्त श्रेणी' में फ़ोन देने से इन्शार किया गया था?

बम्बई टेलीफोन विभाग ने अपना फैसला क्यों बदला ?" उत्तर दिया उस समय के सुचना ग्रोर प्रसारण राज्य मंत्री श्री शेर सिंह, ने जो इस प्रकार है:

"हां सिफारिश इन लोगों ने की थी:

- 1. ग्रादम ग्रादिल एम० एन० ए० ।
- 2. वी० एम० याज्ञिक शराबबन्दी मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ।
  - 3. भगवानदास के० ब्रशार ब्रध्यक्ष बी-वार्ड जिला कांग्रेस कमेटी।
  - टी० पी० करीमशा, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र मजदूर सभा, बम्बई ।
  - 5. एम० ए० खटाल, म्यूनिसिपल कौंसिलर।..."

बड़ी बड़ी विभृतियां इस में शामिल हैं। जब इस मामले पर सदन में चर्चा हो रही थी 3 . . (ध्यवधान) . . . तो कांग्रेस की तरफ से श्री नोतिराज सिंह चीधरी ने एक Motion re. MISA"and Prev. of Small Bill '

वाम पूछा था। बहु प्रभी तक मविमडल मे बे, शब नहीं हैं। उन्होंने एक प्रश्न यह पूछा वा कि

"क्या सरकार जानती है कि तस्करी को ये प्रफसर बढावा देते हैं जिनका काम इसे रोकना है ?"

उन्होने घावे कहा---

**"बी॰भी**॰ए॰सी॰ के गोल्ड केस में मूस रेषेट' प्रभारे एक' अपसर में बदल ही भीर नगभग एक 'बोबांई रपट 'फिरै से शिक्ष दी'। मैं यह रपट पेटलं पर रक्षता महिता हूं। <sup>प्</sup>यह 32 वेंज की रंपट है।''' "

ँभ्रध्यक्ष ने उस समय कहा कि इसे पटल पर रखना जरूरी नहीं है सर्वान पृष्ठिए। तो उन्होंने फिर पूछा---

"मैं जातना चाहता हु कि क्या रेबेन्यू डर्रेलिजेंस के डायरेक्टरों ने 30 नवस्थर 1967 की भपनी मूल राष्ट्र भोर एक छोटी रपट बदल दो थी भोर एक-सौथाई स्पद्ध फिर से लिख दी थी ?"

इसका कोई जवाब नही मिला।

**रक माननीय सदस्य** कोन से प्रखबार मे **पड़** रहे हैं ग्राप?

भी भटल बिहारी काजपेयी : यह भववार वही है जिसकी बहुत चर्चा यहा हो चुकी है---प्रतिपक्ष । मगर केवल मखवार पर मैं निभार नहीं करता है। भाप चाहें तो सदन की का**र्वेका**ही से मैं पढ़ कर सुना सकता हू।

भगर राजनैतिक नेता तस्करो को सरक्षण देते रहेंगे, तस्कर उनके साथ मैदी ना दावा करते रहेंगे, ग्रगर राजने तिक नेतांग्रों वे चुनाव में तस्कर काम करते रहेंगे भीर उनसे सम्बरित्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करते ग्हेंगे तो तस्करों के खिलाफ कभी कठोर कार्येवाही नहीं हो सकती है।

एक तस्केर हैं श्री कुर्जणा वृध गावडे, वह 67 वर्ष के तस्कर हैं। वह भेषी पकड़ गये हैं। बर्ध्वई के तेंस्कर हैं। उन्होंने हाईकौटै मे भपनी नजरबन्दी के खिलाफ एक रेज़ें के स्टेशन दी हैं बीर उस रेब्रेजेंग्शन में साथ एक सर्टिफिकेट दिया है। वह सर्टिफिकेट दिया है श्री एंच० भारके बीखले को । वह सिटिविकेट इसे प्रकार है

"It gives me a great pleasure to say that Shri K. B. Gowde worked for me during the mid-term poll. He is a hard-working and a loyal werher. He proved to be of undstance in the last election. I wish him well."

SHRI MADHU LIMAYE Indira wave consist of such people?

भी घटल बिहारी बाजपेयी: यह 1971 क मध्यावधि चुनाव की बात है। चुनाव के त्रन्त बाद यह सर्टिफिकेट दिया गया है। उस समय भी वह तस्करी में फसें थे। दो वर्ष पूर्व कृष्णा गावडे को वस्टम वालो ने नौका म तस्करी का माल उतारते हुए पक**डने का प्रया**स किया था। उसके सेवको ने कस्टम वाली को मारपीट करके भगा दिया भीर वे दो लारी मामान लेकर भागने में मफल हुए । मावड़े पर हत्या का भारोप लगाया गया था लेकिन वह साबित नहीं हो सका। पुलिस ने उन्हें साबित करने की कोशिश नहीं की । वावहै छुट गया घोर विधि मती के चुनाव में एक सकिय कार्यकर्ता के रूप में प्रकट ही घया 🕯 🐣

प्रश्न यह है कि तस्कर करोड़ो पये की सम्पत्ति एकव करने में कैसे सफल हए? ग्राप उनके महल देखिये, उनकी बाडियो की सख्या देखिये, भोग भीर विश्लास से भरा हम्रा उनका जीवन देखिये, उनके स्वामित्व म चलने वाले सिनेमा घर देखिये ,

एक माननीय सबस्य स्विमिन देखिये।

260

Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

भी घटल बिहारी वाजपेयी : भीर उसके नीं ब लगा हमा काच देखिये जिसके नी बे एक कमरा बना हमा है।

श्री मन् लिसमें उसके नीचे मन जाइये।

भी सदल बिहारी बाजपेयी : मै नही जाता। लिमये जी जा सकते हैं। मेरे लिये मना है।

क्या इनकम टैक्स वालो का यह काम नहीं कि पूछे कि इतनी सम्पत्ति कहा से माई ? राय नारम में एक एम्बेसेंडर होटल 76 लाख मे बरीदा । क्या उससे पूछा गया कि यह धन कहा से भ्राया? उसने बडी चालाकी से बरीदा, एन्टेट इयुटी नहीं दी भीर भूलतान बदर्ब का कट्रोलिंग इटरेस्ट खरीद लिया। 7 लाख स्पये की सम्प हयुटी बचाने मे नारग सफल हो गया । माय कर, सम्पत्ति कर, एस्टेट इयुटी कुछ नहीं दी लेकिन क्या इनकम टैक्स वाले वह नहीं पूछ सकते थे कि यह दौलत कहा से ग्रार<sup>ि</sup>

क्रब कल केरल ने जिस तस्कर का नाम लिया गया वह बड़ा दान दाता है, जिमने मस्जिदे बनाई हैं, कासर गोड के पास एक वडी मस्जिद उसने खडी की है, उस मजिस्द म एक टावर लगा है। वहा नमाज पढ़ने कोई नहीं जाता। वह टावर लगाया है समुद्र में माने वाली नौकाभो को देखने के लिए। भारत सरकार ने स्मर्गालग पर एक डाक्मेटी बनाई है। उस डाक्मेट्री में वह मस्जिद आ गई तो केरल में हगामा खंडा कर दिया (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य मन्दिर के लिए नही दिया ?

श्री घटल विहारी वाजपेयी मन्दिर के लिए भी दिया होगा । लेकिन वह मन्दिर ग्रगर डाक्मेट्री मे मा जाय तो हमे कोई मापति नहीं होगी। मगर केरल की सरकार न क्या किया? भारत सरकार के फिल्म डिबीजन द्वारा बनाई गई डाक्मेटी का प्रदर्शन रोक दिया। तस्कर न केवल केरल की सरकार को चला रहे हैं, भारत सरकार को भी ग्रपने हाब में नवा रहे हैं।

श्रायकर विभाग का ही सवाल नहीं है. कस्टम के अधिकारी भी इसमे शामिल है। मैंने कल कहा था कि मगलीर से लेकर कैनेनीर तक मैं गया। पश्चिमी समद्र का सारा किनारा ग्ररक्षित पडा है। क्या सेट्ल रिजर्ब पलिस नहीं लगाई जा सकती? क्या बोर्डेंग सेक्योरिटी फोर्स इन तस्करों के जान को तोडने के काम में नहीं लगाई ज सकती? में तो ममझता ह कि ग्रावश्यकता पढे तो माल ले कर विदेश से जो नौकाए ग्राजी है ग्रीर दमारे देश की ग्रर्थ-व्यवस्था को छिन्न विच्छित्र करती हैं उन नौकाश्रो को समृद्र मे डबाने के लिए जल-सेना का भी उपयोग किया जा सकता है। मगर बोर्डर सेक्बोरिटी फार्स बिहार मे काम मा सकती है, मेट्रल रिजर्ब पुलिस निरपराध लोगो को गोली का निशाना बनाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हे. तस्करों से लड़ने के लिए उसका उपयाग नही किया जा मकता।

ग्रभी मिसा के ग्रन्तर्गत तस्कर पकड़े जा रहे हैं, कुछ छूट रहे है। इसलिए राष्ट्रपति का ग्रादेश जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट किसी तस्कर को तब छोडता है जब ''डिटेशन' के ''ग्राउन्ड'' या तो ''बेग'' होते है या ''इन्डैंफि-निट" होते है। डिटेंशन के माउन्ड्स देग भीर इन्डेफिनिट रखने के लिए दोषी कौन हैं? ग्रफमरो की तस्करों के साथ साठ-गाठ है। जानबन कर डिटेशन के ग्राउन्ड्स मे कमी रखी जाती है। फिर तो भ्रदानत भ्रपना काम करगी। अगर ग्राउन्डस वेग है, अनिश्चित हैं तो भ्रदालत सविधान के भ्रन्तगंत उन्हे रिहा करेगी। उसे रोकने का तरीका राष्ट्रपति का

#### Stat. Rest. and AGRAHAYANA 12, 1896 (SAKA) Stat. Rest. and 2**6**T Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

आयदेश जारी करना नहीं है। जो टिटेशन में नेते है उनके खिलाफ क्या काई कार्यवाही की **गई** ? किमी ग्रफसर से पूछा गया कि ये जाउन्डम वेग क्यो थे<sup>?</sup> प्राधार प्रनिश्चित क्यों से ?

श्राज मिसा का क्या हाल हा गया है? सुत्रीम कार्ट में एक मामला ग्राया बिहार के छात नेता श्री रामबहादर राय का। डिस्टिक्ट मैजिस्टेट ने उन पर यह ब्रारोप लगा दिया कि बह गजरात जैसा आन्दोलन बिहार मे भी करना चाहते है। अब उनसे पुछा गया कि **ग्जरात जै**से भ्रान्दोलन का क्या मतलब है ? उन्होने कहा कि यह तो कामन-सैन्स की बात है। तब फिर जस्टिम चन्द्रचुड ने कहा---कामने-सैन्स तो ग्राज वडी ग्रनकौमन हा गई है।

मुप्रीम कार्टने एक व्यक्ति का इसलिये रिहा कर दिया कि उसक ऊपर भ्रारोप लगा था कि उसने भ्रपनी दीवार से एन्टी नक्सलाइट स्लोगन माफ कर दिये। क्या दीवार को साफ करना भी जुमंहै रेक्याइम से वह नक्सलपथी माबित होता है? लेकिन इस आधार पर उसको नजरबन्द किया गया श्रोर मुत्रीम कोर्ट ने उसको छोड दिया। जस्टिस हैयर का कहना है---ग्रगर इस तरह से इन असाधारण अधिकारो को काम मे लाया जायगा तो एकजीक्युटिव की मबुत पेण करने की क्षमता श्रीर भी कम होगी। मैं जस्टिम हैयर के निर्णय के एक भ्रम का उद्धत करना चाहता हु---

"The potential executive tendency to shy at courts for prosecution of ordinary offences and to rely generally on the easier strategy of subjective satisfaction is a danger to the democratic way of life."

श्री जमीम श्रहमद जमीम (श्रीनगर) बह रीएक्शनरी जज मालुम होता है।

Prev. of Smug. Bill श्री घटल बिहारी वाजपेयी जस्टिस है जो केरल में मिनिस्टर थे। श्री कृष्ण

ऐयर बडे प्रगतिवादी है।

श्री शमीम ग्रहमद शमीम ' बाद मे हो गये होगे, रीएक्जनरी होते देर नहीं लगती

श्री दीनेन भट्टाचार्य (मीरमपुर) . ये ग्रन-कमिटेड जज ह।

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी यह बात भी सदन का मालम है कि जब हाजी मिर्जा मस्तान का मामना बम्बर्ट में एक मैजिस्ट्रेट के सामने गया था ता हाजी मिर्जा मस्तान के पक्ष मे जो वकील उसकी तरफ से पेश हए ये-वे स्वर्गीय मोहन कुमार मगलम थे।

श्री शमीम ग्रहमद शमीम यह वकील थ इस लिये गये। ध्रगर ग्राप वकील हाने तो स्राप भी गये हाते।

श्री घटल बिहारी वाजपेयी : ग्रगर यह बात गलत होती ता मुझे खुशी होती।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA. He is not right reactionary but wrong reactionary.

SHRI S A SHAMIM. The lawyers did take objection

SHRI K. P UNNIKRISHNAN (Badagara) What exactly are you trying to prove?

I am charging you of having taken money from smugglers. I will give you details

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Come out with a proof.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN Even in his professional capacity he has not appeared. That is a fact You are trying to play politics.

264

Prep. of Swing, Bill. भी एमें रामगीयाल रेडी (निजामा-बाद ) ! प्रब्दुरूला को मस्तान ने पसा दिया---क्या भाषके पार्टी वाली ने इस किस्म का कोई इल्जाम लगाया है?

Stat. Resl. and

Mation re...MISA and

भी घटल बिहारी बाजपेवी : उपाध्यक्ष महोदब: बाज यह बात कही जा रही है कि जब हम मूलभूत प्रधिकारों की रक्षा की बात कहते हैं...

भी राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : किसके मूलभूत प्रधिकार?

श्री भटल बिहारी वाजपेयी : हर एक नागरिक के मुलमूत अधिकार । जब यह बात कही जाती है तो यह भी कहा जाता है कि तस्करों के खिलाफ़ सामान्य कानूनी कायवाही होनी चाहिए। ग्रगर ग्रावश्यक हो तो उस कानुन को भीर मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार को इस तरह की ब्लांकट पावसं नहीं दी जा सकती। ग्राज इन पावसं का दुरुपयोग हो रहा है। कोई भी जिला मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को संदेह में पकड संकता है, स्मन्लर बता कर हवालात में डाल सकता है ।

श्रभी मथुरा का एक मामला मेरे पास श्राया है। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिये कस्टम ब्रधिकारी गये. 25 हजार रुपये मांगे। देने से इन्कार किया। इतने में गण्त लगाती हुई पुलिस वहां ग्रा गई, तो कस्टम के ग्रफसर कागण छोड कर भाग गये। वे सारे कागज मेरे<sup>र</sup> पास हैं, इसमें इन्टैलीजेन्स की रिपोर्ट भी शामिल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने औं लिखा है, वह भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के चीफ़ सफ़ोटरी को जो चिट्ठी लिखी है, वह भी शामिल है श्रीर, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि इस व्यक्ति पर शक है कि यह चोरी-छिपे ग्राने वाले सोने का व्यापार करता है। मगर रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जब घर की तलाशी ली गई तो सोना नहीं मिला। मगरें शंक है। तो क्यां शंक पर श्राप पकड सकते हैं, शक पर हवालात में डाल सकते हैं, शक पर उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीन सकते हैं ? क्यां ग्रापको सुबत नहीं चाहिए ? क्या भदालत के सामने दोषी प्रमाणित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ? जब हम यह बात कहते हैं तो कहा जाता है कि विरोधी दल वाले तस्करों को वचा रहे हैं । इसीलिये मेझे राजनीतिक सम्बन्धों की चर्चा करेनी पड़ी बीर इसी लिये मैंने स्वर्गीय मीहेन कूमार मंगलम को नामें लिया । अगर वह गलत है तो मुझे खुशी है।

ग्राज जब हम मलभूत ग्रधिकारों के लिये लड़ते हैं तो हम पर ग्रारोप लगाया जाता है कि हम तस्करों को बचाना चाहते हैं। मैं साफ़ तौर मे कहना चाहता हं--हम तस्करों के खिलाफ़ कडी कार्यवाही करने के पक्ष में हैं, लेकिन यह ग्रादेश उस ग्रावश्यकता की पुति नहीं करता । इसलिये हम ने मांग की है कि एक उच्च प्रधिकार सम्पन्न प्रायोग बनाया जाये जो तस्करों का सम्बन्ध राजनीतिक नेताओं के साथ, तस्करों का सम्बन्ध **नौकर-**गाही के साथ, व्यरोक्रेसी के साथ--इन सम्बन्धों की जांच करे ह्यौर फिर यह तब करे कि किस तरह से तस्करों मे निबटने के लिखे प्रभावी कायंबाही की जा सकती है।

मैं ब्रध्यादेशों की बात करता हूं, राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेशों के खिलाफ ह श्रीर में चाहता है कि वित्त मंत्री महोदय श्रध्यादेशों को रह हो जाने दें, श्रादेश की वापस लें भ्रौर एक कम्प्रीहैन्सिव बिल लेकरें ग्रायें जिसमें सभी ग्राधिक ग्रपराधों के खिलोफ्र कडी कार्यवाही का समावेश हो। ग्रभी तक किसी सस्कर की सम्पत्ति जब्द नहीं की नई हैं। जो पकड़े गये, यरवादा जेल में गुलछर उड़ा

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: WILL you agree for a change in the Constitution in respect of 'property'?

Set State Real and Administration 12, 1896 (SARA) Stat, Real and 266 Motion re SEES A und Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill. Prev. of Smug, Bill

्र., **भी सहस विहारी बाजपेयी**: संविधान को पहले ही पश्चितित कर चके हैं, संसद से अधिकार पहले ही ले चुके हैं कि संसद् सर्वोच्च 

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: I am

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You are asking me. I am not the Finance Minister. I am not the Prime Minister of this country. You have the majority.

्र, उंपाध्यक्ष महोदयं, क्या यह मामला हमारी सहमति के जिये रका हुआ है--क्या ये हर काम वही करते हैं जो हम पसन्द करते हैं। हम जिस काम के लिये "न", करते हैं, क्या मे उस काम को नहीं करते की हम तो कह रहे हैं कि सी०बी०ग्राई० की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दें, क्या आप तैयार हैं?

···हम मांग कर रहे हैं कि कानून के अनुसार तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करने का सरकार को प्रधिकार सिलना चाहिए और अगर सरकार इस तरह का अधिकार मांगने के लिये सदन में श्रायेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। नेकिन वित्त मंत्रा महोदय कंसल्टेटिव कमेटी में बता चुके हैं कि इसके लिये संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये किसी की सम्पत्ति नहीं लेंगे। उनसे सम्पत्ति बो जायगी--चुनाव लडने के लिये, वही सोदे हो रहे हैं---नजरबन्द तस्करों के साथ।

उपाध्यक्ष महोदय, जरा मैं पंजाब के बारे में भी बतला दूं। सरदार दरबारा सिंह जी ने अच्छी याद दिलाई । पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा है कि जो राजनीतिक नेता तस्करी में फसे हुए हैं जनके बारे में मुझे मालूम है, मगर मैं बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि यह पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं है। मगर चीफ मिनिस्टर उनके जिल्लाफ़ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कड़ी कार्यवाही हो और तस्करी की बात खुले। . . .

श्री वरबारा सिंह (होशियारपुर) : उन्होंने यह कहा है कि कोई ग्रादमी बतलाये कि कौन मिनिस्टर है जो तस्करी करते हैं। उन्होंने इस बात को चैलेन्ज किया है।

श्री घटल बिहारी बाजपेथी :- दरबारा सिंह जी, तब तो श्राप भी बतला सकते हैं।

श्री वरबारा सिंह : श्राप को सब बातों का ज्यादा पता है।

श्री घटल बिहारी वाजवेयी : मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय एडहाक, कामचलाऊ, कदमों से तस्करी की गम्भीर समस्या को हल करने का नाटक न खेलें, ग्रसाधारण प्रधिकार हरदम नहीं रहेंगे। तस्करी का हमें निर्मलन करना है। इसके लिये प्रभावी कार्यवाडी होनी चाहिए । यह ग्रध्यादेश इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:

"This House disapproves of the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974 (Ordinance No. 11 of 1974) promulgated by the President on the 17th September, 1974."

### Motion moved:

"That this House disapproves of the Presidential Order issued on the 16th November 1974 under clause (1) of article 359 of the Constitution suspending citizens' right move any court with respect orders of detention under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 for the enforcement of the rights conferred by article 14, article 21 and clauses (4), (5), (6) and (7) of article 22 and also suspending all proceedings pending in any court for the enforcement of the aforesaid rights with respect of orders of detention under the Maintenance of Internal Security Act."

Stat. Resl. and Motion re: MISA and Prev. of Smug. Bill

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move\*:

"That the Bill to provide for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and for matters connected therewith, be taken into consideration."

## 15.57 hrs

[DR. HENRY AUSTIN in the Chair]

Sir, as honourable Members are aware the prevention of smuggling and the conservation of foreign exchange are of vital importance to a country like ours. In order to frustrate the activities of those anti-social elements which seek to take advantage of the country's situation in order to enrich themselves, Government have from time to time taken various legislative and administrative measures. In 1962, the Customs Act, in which the Customs law was comprehensively revised, was enacted. In 1969, legislative action was taken for regulating the possession and sale in vulnerable areas of articles smuggled on a large scale. Further measures were recommended by the Law Commission in its Report on "Trial and Punishment of Social and Economic Offences". Amendments to the Customs Act to give effect to the important recommendations of the Law Commission were effected in 1972. A number of the Law Commission's recommendations were also incorporated in Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

The administrative arrangements for dealing with smuggling and foreign exchange violations have also been progressively strengthened. The preventive formations in the Bombay and Madras Custom Houses and the Central Excise Collectorates at Ahmedabad, Bombay, Cochin and Madurai have been reorganised, and Preventive Collectors have been posted at Bombay; Ahmedabad and Patna, Additional manpower has been deployed for preventive work in sensitive areas. Action has been taken to set up a wireless communication net-work covering the West Coast and the Tamil Nadu coast. In order to strengthen patroling of and interception at sea, arrangements have been made for the purchase of 20 fast vessels from Norway. Two of these have already arrived and have been deployed at Bombay, with results which have proved encouraging.

We have, however, found that because of the vast coast line and long land frontiers of our country, the legislative and administrative measures so far taken to check smuggling have not proved adequate. Experience has shown that the persons who have master-minded the smuggling operations worked behind the scenes. It was usually only a landing agent or a carrier who, because of his overt activities, could be apprehended and subjected to action under the existing law, while the main organisers and financiers behind the scenes were able to continue their operations despite the increasing tempo of the seizures. In many cases the Preventive and Intelligence agencies of were in possession of reports indicating the activities of these persons, but for lack of evidence acceptable in a court of law they could not be brought within the mischief of the ordinary law. The Law Commission appreciated the seriousness of the problem and remarked that since the offences against the regulations of foreign exchange and Customs have an immense impact on the well being of the entire nation by virtue of their pernicious effect on vital national policies. Government should not be without power to detain preventively hardened offenders against these laws. After 1972, when the Law Commission made its recommendation, the activities of the master smugglers have been a matter for increasingly serious concern, and it was in this background that the Maintenance of Internal Secu-

Cop.

# 69 Stat. Resl. and AGRAHAYANA 12, 1896 (SAKA) Stat. Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill Prev. of Smug. Bill

rity (Amendment) Ordinance, 1974 was promulgated on the 17th September. 1974. This Ordinance amended the Maintenance of Interna! Security Act. 1971, to bring within the scope of that Act various categories of smugglers and offenders against foreign exchange regulations. A statement showing the reasons for legislation by Ordinance has already been placed before the honourable Members. There will perhaps be general agreement that the activities of smugglers and foreign exchange raketeers are anti-social and pernicious. It may be desirable from all points of view to enact a self-contained measure as the present Bill seeks to do, dealing exclusively with them and to segragate their cases from those of persons detained under Maintenance of internal Security for political or other reasons.

### 16.00 hrs.

Shri Vajpayee has in a very elaborate speech placed before the House various facts with regard to smuggling. That itself is a justification for a measure of this sort, but unfortunatly along with it he tried to bring in certain political matters also political orientation. I am really sorry that a leader of his stature should take this occasion, particularly when we are dealing with smugglers, to import, if I may say so, political insinuations into this. As far as is possible, I shall certainly deal with them when I reply to the debate. Now I only move for consideration of the motion.

### MR CHAIRMAN: Motion moved.

"That the Bill to prove for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and for matters connected therewith.

be taken into consideration."

SHRI NOORUL HUDA (Cachar): 1 rise to oppose this Bill. What are the objectives behind the introduction of this Bill as also the ordinance pro-

mulgated on 17 September 1974? the hon. Minister has indicated, this Bill is purportedly for conservation of foreign exchange, prevention of smusgling activities etc. and Government wish to arm themselves with sufficient powers so that smuggling can be brought under the ambit of MISA. In Odinance No. 11 of 1974, it is also said that the person concerned will be detained without obtaining the opinion of the Advisory Board for a period longer than three months but not exceeding one year from the date of detention and Government can detain any person on suspicion that a person smuggles or is likely to smuggle goods or about smuggling or is likely to abet other persons to smuggle goods. Lastly under the latest notification dated 16 November, 1974, the President has taken away the right of these detained under this Ordinance to move any court, the right remaining suspended for six months from the date of the issue of the order or the date of expiration of the proclamation of emergency which ever is earlier.

It has been stated before and also today that this Bill and the Ordinance would enable Government to detain anyone on suspicion of smuggling or foreign exchange rule violation and not allow the detenue an opportunity to prove his innocence. As is well known to the House, our party is totally against smugglers, smuggling activities, violators of foreign exchange regulations and any other economic offenders. But the question is why MISA or some such laws which authorise detention without trial is necessary to contain smuggling or to punish other economic offenders

 $A_{\rm S}$  you know, under MISA a person cannot be punished. It is a Preventive Detention Act. On a suspicion, which has been described in the Bill, a person can be detained upto the extent of 6 months. There is, no question of punishment, Government have not come forward with any comprehensive Bill to enable the

## Motion re. MISA and Prev. of Smua. Bill

[Shri Noorul Huda]

Government to punish economic offendders like smugglers in an exemplary manner. There are various Acts in India today, which can take care .of smuggling and other such economic offences. There is, for instance, the Customs Act and rules and regulations under which the Government and the concerned authorities can confiscate the smuggled goods and impose a penalty five times the total value of the contraband and also prosecute any person charged with such offences. There is the foreign Exchange Regulation Act. 1947, as amended in 1953, under which the Government and the concerned authorities can impose a fine five times the amount involved and also prosecute the offenders. We understand that during the last 14 years, in no case has the penalty amounting to more than three times the foreign exchange involved was imposed inspite of all those rules and regulations: and extraordinary powers that the Government have in their armoury. This is the position after 27 years of one party rule in the Centre and in the States. The States of Maharashtra, Gujarat and Kerala are mainly involved as far as economic offences are concerned. These State Governments and also the Central Government have not been able to impose any exemplary punishment on the economic offenders up till now, There is another Act—the Income-tax Act-under which since 1963 Government can impose a penalty on defaulters to the extent of 200 per cent of the amount involved. We do not know whether such Acts, rules and regulations have been applied against these economic offenders and to what extent. I submit that the existing laws of the country against economic offenders are in many ways more stringent than those obtaining in U.K. and U.S.A. Naturally, it follows that if these laws were honestly implemented there would be no need to

resort to monstrous measures such as DIR or MISA.

Prev. of Smug. Bill

Recently Government have been perturbed because some of the stongglers have been released by the High Courts. Why have they been refersed? The High Courts have made it clear that there is nothing wrong in the Acts but the brounds of detention have been prepared in such a haphazard and careless manner .. thet the courts had no alternative but to release these smugglers. The grounds of detention which have been urmished to the offenders were found to be imeffective and so they were released by the High Courts.

Now Government have come forward with a promise that this extraordinary measure would last only for six months and not more than that. They have also said that if they in their wisdom decide to withdraw the proclamation of emergency then this Act would immediately lapse. After the emergency was proclaimed in 1962, except for a few months. these long 12 to 13 years this measure has found a place in our statute book.

When is an emergency proclaimed. It is done only when there is external danger to the country. Recently we have signed an agreement with Pakistan. As far as we know, the Government of India do not fear any aggressive designs by the Peoples' Republic of China. In fact, in certain foreign capitals we have been trying to have better relationship with the Peoples' Republic of China. So, when there is no danger from any of our neighbouring countries, what is the necessity for continuing this emergency for the last 12 to 13 years? Naturally, we cannot place any reliance on the promise made by the Government on the floor of this House times without number that the emergency would be lifted and that DIR and MISA would not be used against political opponents.

# 273 Stat. Resl. and AGRAHAYANA 12, 1896 (SAEA) Stat. Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill Prev. of Smug. Bill

Caming to leakage of foreign exchange, I understand that an official committee headed by the Secretary of the Finance Ministry of the Government of India made a number of suggestions to plug loopholes According to official estimates, which are gross under-estimates, the leakage of foreign exchange is round about Rs 240 crores per year. Yet, we tinderstand that not a single suggestion of this official committee has been implemented during the last three years.

"Why do we oppose this measure? We oppose it because in the name of preventing smuggling operations, in the name of containing economic offences, we cannot allow the Government or the executive to arm itself with extraordinary and draconran powers, because, we have seen that the Preventive Detention Act, in some form or other, has been in the statute book for so many years, and we have seen how the MISA and the Preventive Detention Act have been used mainly against political oppenents, specially against the Communist Party and other trade unionists who are working in the Kissan Sabha those who are associated with prodemocratic movements gressive amongst the youth and the students They have been detained under the MISA for many years Even now according to the latest hand-book which I have got, from 1st July, 1973 upto 31st March, 1974 (during this period) for reasons of violent activities, goondaism, bad character, communal agitations, maintenance public order spying, security of the State, etc., the figure is, 1899 detained under the MISA and for reasons profiteering, of hoarding marketing, disruption of essential services, adulteration, smuggling, the number is 1,148 Out of these, in West Bengal alone, the number is 2,156.

This also appears to me an underestimate because we knew for certain that in West Bengal alone, the Communist Party Marxist and other party activities have been detained their number is not less than 3,000 to the best of our information people have been languishing in jail for the lat so many years Congress rulers have played havoc with the personal liberties of the citizens of this country The Central Government and various State Goveraments have employed the MISA against railwaymen during the railway strike of May, 1974 and also against teachers, students, power engineers, trade unionists and other workers.

They have employed these extraordinary methods not only in West Bengal but also in Gujarat, Bihar, Assam and other places You will be surprised to learn that in May, 1974. when about 17 lakh railwaymen went on strike for about three weeks wso manv railwaymen were detanged under the MISA and the grounds of detention given against some of the railwaymen in Badarpur and Lumding whom I know personally were fantastic The grounds given Were. "You have have participate in such and such a procession on such and such a date, you were engaged trade union activities; you were engaged in other activities. So, you are detained under the MISA." any thyme of reason they are tained for an indefinite period

Today, in the name of anti-smurgling operations, if the Government want to detain any political worker, any political activist, any trade unionist, they can give the lebel of "smuggler" to any person and detain him for at least six months. There is no power a earth to prevent the Government from doing that.

SHRI C SUBRAMANIAM. Has there been any instance of any political worker being detained under thus Ordinance?

DECEMBER 3, 1974

Stat Res! and Motion re MISA and Prev of Smua Bill

SHRI NOORUL HUDA I can give you hundreds of cases

SHRI C SUBRAMANIAM Do it now There is no use of saying that there are hundreds of cases You give the instances now itself

SHRI NOORUL HUDA The MISA is only of recent origin. Suppose there is some agitation in Bihar or in UP or in Gujarat of in any other State. The Government can empower the District Magistrate to detain any person under the MISA. If you want to detain any political worker any political activist you can give the lebel of smuggler and detain him How can prevent it? There is no power on earth to prevent it. We have seen what happened in Gujarat and Bihar in the last few months.

MAVALANKAR SHRI P G (Ahmedabad) Prof Dandavate was externed from Bihar Shrı Vajpayee Where was arrested in Bihar the agitation? You arrest people even without agitation You them because of the political rences that you have against you opponents

SHRI PRIYA RANJAN DAS
MUNSI (Calcutta-South) 500 Congressmen were also arrested in West
Bengal Persons from Congress were
also arrested

SHRI C M STEPHEN (Muvathupuxha) Can you tell us which per son belonging to your Party was arrested under this particular Act?

SHRI NOORUL HUDA Not under this recently

MR CHAIRMAN Please confine yourself to the Bill Do not bring in other matters

SHRI MOORUL HUDA On behalf of the Communist Party of India (Marxista) I would say that the

Government may arm itself with any power which would enable them contain smuggling and other economic offences, we would be at with them But at the same we cannot allow MISA to be brought in a new form, under the garb of anti-smuggling operations In future. in various parts of our country agitations might occur any day and we cannot allow the Government to arm itself with such draconian and extraordinary power to arrest any person and level against him the charge of indulging in smuggling activities and detain him for six months or more The only solution for the Government 15 to bring forward a comprehensive Bill to strengthen the existing laws I have mentioned three or four laws those laws can be strengthened and we would be at one with the Government on that We want to contain this menace of smuggling But our Party 18 totally opposed to the introduction of MISA in a new form: this is politically motivated and we will oppose it until this draconian power is withdrawn we shall fight tooth and nail until the Emergency is revoked and until these Acts are removed from the Statute Book

की नवल किशोर शर्मा (दौसा)
सभापित महोदय सैं सरकार को म्वारिकवाद देना चाहता हं कि उस ने यह विशेषक
प्रस्तुत कर के एक ऐसा कदम उठाया, जिसको
हमारी विगडती हुई ग्रुपं-व्यवस्था को सुधारन
की दिशा में एक सही कदम कहा जा सकता है।
सैं यह बता कर सदन का जादा वकत खराब
नही वक्ता कि समगालग से देश को किननी
हानि होती है श्रीर स्मगलिग शितने तरी हो
में होता है, लेकिन मैं इतना जदर कड़ना
चाहुगा कि स्मगलिंग के जिएए हमारे देश में
वह श्रावश्यक सामान, श्रीर ऐयाशी ना
सामान श्राता है, जिस की हमे जदरत नहीं
है। श्रीर इस के बदले में हमारे देश से वह
स्मान जाता है जिस की हम को बहुत जकरत

Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

है जिस को हम प्रिजर्व बारना चाहत हैं। वस्टम की चौरी तो होती हो है लेकिन देश के संदर प्रजित होने वाली विदेशी मद्रा जिस की हमें बहुत आवश्यकता है उस की बहुत कमी होती है इस स्मिप्लिन के कारण। स्थिति भाज यह हो एई थी कि देश में इन म्मग्लर्स ने एक समानान्तर ग्रबं-व्यवस्था कायम कर ली थो। कहने की जरुरत नहीं है जि इन के पाम बड़े-बड़े होटल, बड़े-बड़े सिनेमा घर स्रौर एक नहीं सनेकों तरह के धंधे है। पैसे के स्राधार पर दुर्भाग्य से इन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठः भीप्रत्यं करलीथी। यहदुर्भीग्य की बात है। लेकिन यह दोष अप्रसल में पजीवादी व्यवस्था का है जिसमें कि हम रहते है, उस में जिस के पान पैसा होता है उस को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाता है। इसी कारण इन लोगों को भी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई । मैंने इस सबध में ।वराधी दल के दो नेता आ के भाषण सूने । उन भाषणा को सुनकर मुझं थोड़ी हैराना हुई आर में हैरत में रह गया कि क्या हमारे देश के यही विरोधी दल के लोग है जो कभी सरकार के इट जाने पर मालटरनेटिव सरकार बनायेगे जो कहते कुछ है भीर करते कुछ है ? हम ने बहत देखा है इन के कारण को स्रोर दर्भाग्य से यही कारण है कि वे बेवारे निराश होते है. कही भी इस सदन में या ग्रीर किसी जगह बहमत नही प्राप्त कर सकते क्यों कि इन की क्यनी ग्रोर करनी मे बहुत भन्तर है। कहते तो हैं कि हम स्मग्लिग का बहुत बड़ा विरोध बारते है और हम इस भीर सरकार का ध्यान द्याकर्षित करते रहे है। लेकिन जब सरकार कदम उठती है स्मिन्लिंग को रोकने लिय तो उस में भी छिद्रावेषण करते है। उस की मालोचना वःरते हैं, कहते हैं कि म्राप को काम्प्रीहेसिव का लाना चाहिय। स्राप को एक ऐसा कानून बनाना चाहिये ग्रीर उस कानून के ग्रंतर्गत दजा देनी चाहये। मुझे हैरत होता है कानून तो है; सजाएं भी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि

कान्त वही है। सजा हुई है, 71 में भी सूछ लोगों को सजा हुई है, 72 में भी सजा हुई है. 73 में भी सजा हुई है और थोड़े लोगों की नहीं दो-वो तीन-तीन हजार लोगों को संबंध हुई है लिकिन इसके बाबजुद भी स्मर्ग्लग नहीं रकी मांगडों के मताबिक इस साल सम्भावना यह थी कि यदि स्मिग्लिंग के खिलाफ सरकार ने यह कदम न उठाया होता तो शायद चार सी करोड़ रुपये का स्मिग्लिंग का व्यापार होता । पेसी हालत में एक नकाब पहनकर यह कहना कि हम स्पॅीट तो करते हैं लेकिन एक काप्त्रीहैंस्व ला होना चाहिये, यह अपने आप में एक मखोल की बात हो जाती है। मेरे मिन्न हना कह रहे थे कि कानन है भोर कानन के अन्तर्गत संजा देने का प्रावधान है, वह यह है कि माल जब्त कर लीजियेगा भ्रोर पांच मना पैनेल्टी लगा दीजियेगा . . . (व्यवचान) प्रोसी-क्यूशन भी है। मैं जानजा हूं। लेकिन दुर्मीक से जो कान्न जिस तरह का इस मुल्क में है भीर जिस की भाप वकालत करते है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिये, उस व्यक्तिगत स्वतवता के नाम पर कानुन के सामने सब को समानता का अधिकार होता चाहिये, उस के श्राधार पर सुशीम कोई हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, वे इस तरा के हैं: ग्रीर उन का ग्राधार हमारे जिस्-मपुडन्स का यह सिद्धान्त है कि भने की निनयान्वे दोषी मादमी बरी हो जाये, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होती चाहिये, इस जलिसपूडेन्स के बाखार पर बने हुए कानूब के मुताबिक बिना ठोस प्रमाण के किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती और यही दूर्भाग्य था, यही वजह थी कि सरकार को मपने हाथ में ये विस्तृत मधिकार लेने की जरूरत प्राई। वरना कोई जरूरत नहीं भी कि ऐस प्रधिकार सरकार लेती।

मैं भी ग्राप के साथ होता, वाजपेयी जी के साथ होता-इसका विरोध करने में। बाब

## [बी नवल किशोर शर्मा]

279

सरकार के लिए इस तरह का कानून बनाने के लिय भीचित्य नही होता । लेकिन स्टिक्स यह है कि हमारे विरोधी दल के लोग हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। राजनितिक पहलू हो सकता है, राजनितिक तरीके से सरकार को गिराने 'की कोशिश भी भी सकती हैं, सरकार के खिलाफ बात करने की कोष्ट्रिय भी हो सकती है, बौर वह धाप करते भी हैं, सब लोगो का एक गठजोड हो गया है--जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। ज़िन जय प्रकाश को जब वे भूदान की बात **ब**रते थे. तो उन के साथ लगने वाले साठ ग्रादमी भी नहीं ये ग्रीर प्राज उन के साथ गरे विरोधी दल के नेता लग गये हैं, सब ने ्रवृकी-लोकनायक बना दिया है भौर ये हमारे नाक्सिस्ट बधु भी उन के साथ गठबधनशरने को तैयार हो गये हैं ..(व्यवचान)..में इस विषय पर ज्यादा जाना नही चाहता, मैं यह कहना चाहता ह कि हमारे देश में विरोधी दल के लोग गरीब की बात करते हैं, चिल्लाते है भीर पुकार लगाते हैं, देश की धर्य व्यवस्था बाराब हो रही है, महगाई हो रही है लाग परेशान हैं भीर यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन जब सरवार बदम उठना है नो याबासी तो देते नहीं, यह तो वहते नहीं कि ग्रापने भक्ता काम किया है बल्मि यह वहते है वि इस का दुरूपयोग होना राजिनिस तराके से। सभी सुबद्धाप्यम साहब ने स्राप स ठो र हो। पुछा था कि क्या भ्राप कोई उदाहरण बना सकते हैं वि जिस मे मीसा के इस प्राववान का दूरपयोग किया गया हो राजनितन उदृश्या के लिये (व्यवषात)

मैं यह कह रहा था कि यह एक ऐसा कानून है किस का देश के लोगा न स्वागत किया है, आम जनता, ने इन्स्पत किया है, भले ही विराधी दना के लोग इस तरह की बात करें और यहो क्या है कि ये सीधे नहीं कहते कि यह वानून साटा है। स्तल में स्मान के । खलाक् में आलोकना करते हैं कि राजनितिक सेताओं के साथ उन की साठगाउ जरूर है सोर युद्ध भी ऐसा लगता है कि राजनितिक नेताओं से साठगाउ है। बहुत आसानी से कह दिया कि कृमार मफलम साहब ने हाजी मस्तान की पैरवी की—पैरवी कर ली तो क्या हो गया? यह एक ककील का पेशा है, मेरे मिल चटर्जी साहब सामने बैठे हैं, वे भी वकालत करहे हैं, । ओर वकालत करहे हैं, । ओर वकालत करहे हैं, । ओर वकालत करते हैं । ओर वकालत करते हैं । अगर पैरवी नहीं करते हैं तो शायद आप को मान्म नहीं है—पह एक प्रोफेग ।न मिसकान्डक्ट है। इस लिए कृमार मगलम माहब न कोई गलनी नहीं की।

सीवे सादे भोले बादमी हमारे गांबसे साहब। इन के लिए कह दिया कि इन्होने एक व्यक्ति को सरिफिकेट दे दिया कि उस न इन के चुनाव मे काम किया है। इस में क्या हो गया ? चुनाव मे तो बहुत लोग काम करते हैं। हजारो लोग काम भरत हैं। उन्हाने यह तो नही कहा कि वह स्मग्लर नही है या बहुत ग्रच्छा चरित्रवान व्यक्ति है। तो यह कहा है शि इन्होने मेर चुनाव मे बहुत काम किया है। ग्राइ विश हिम बेल। इस मे क्या बुराई है? लेकिन ग्रसल मे मुझे सन्देह होता है ग्राप की नीयत पर जब ग्राग पैरवी वरत है--स्मर्गलम रोकने के इस कानून के खिनाफ, ग्राप यह कहते हैं कि ग्रांडिनेन्स नही निकलबाना चाहिए, काम्प्रीहेन्सिव ला होना चाहिए, ता मुक्त मन्देह हाता है द्याप की नीयत पर भीर भूत लगना है कि प्राप ने कही स्मग्लर्स से पैसे तो हो ने लिए हैं? कही यह तो बही कि मान की शीर स्मग्लर्स की साठगाठ है जो प्राप इस तरह क घारोप लगाते है। इसलिए में कहना चादता हू कि देखिए-प्राम से मत खेलियगा। इस देश की जनत. बड़ी समझदार है। वह बाप की इन हरकतो की

नहीं हो पति !

346 1

बहुत अण्डी तरह से समझती है। में चाहत। हुंश्कि: इस देश में विरोकी दल मजबूत हो, केंकिन सांप की हरकते ऐसी हैं, कि आप सजबूत

मैं यह कह रहा था कि इस देश में यह एसाकानून बना है जिस की देश में भावक्य-क्सा थी. में भाष का ध्यान पिछले किस मही अर्थिणोस के एक वक्तव्य की ग्रीर दिलाना चांहता है.....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Should the Emergency continue?

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA I am not concerned with it; n is for the Government to reply. I am on a different point altogether. When that comes up we shall express our views on that matter

मै श्राप म कह रहा था—हमार वित्त मसालय के भूतपूर्व मसी श्री के० श्रार० मणाश ने कहा था—

भी जनेक्वर मिथ्र (इलाहबाद) . इसंग्रिल उन को निकाल दिया गया ।

भी नवस किशोर शर्मा देम तरह की बात कहना भाप की भादत हो गई है। इस तरह की राजनीति मे भ्राप ही विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी मे क्या होता है इस का भ्राप को क्या पता। भ्राप भ्रपने घर को ही सम्मालिए।

मै निवेदन कर रहा था—श्री गणेश ने साफ कहा था कि साधारण कानून के अन्तर्गत इन जोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मै आज' के ही अखबार की एक खबर प्राप को सुनाता हूं —टाइम्ज आफ़ इंण्डिया में निकती इस खबर की श्रोर में इन विरोधी मित्रो का ध्यान कास तौर से दिलाना वाह्तक हू। इस में लिखा है—

"Crime Branch solves the mystery of the watch murder."

एक मि॰ नरुला है जो स्मर्गलग का धन्धा करते थे । उन के यहा एक नौकर था---स्थाम मलिक । स्थाम से उने का श्रेयका हो गर्या, वह उन के यहां से कला गर्मा । बाद में नरुला साहब के यहा सर्व हुई, जिंस में कुछ माल बरामद हुआ। नर्रेला साह इ देक बड़े स्मम्लर है, मीसा मे उन का डिटेन्ड्रन भी हमाया। उन को शेक हमा कि श्यार्थ मलिक ने यह सूचना दी है, इस लिए उन्होंने उद्याको मारने का घड़यन्त्र किया। मिलक को गोली से मार दिया गया। नक्ला साहब गिरफ्तार हुए, सेकिन कानुन तो कानुन है, उस में सबूत के अभाव में छोड़ दिए गए। अब वाजपेयी जी ने बडी श्रासानी स कह दिया कि सरकार जमानतीं की भी व्यवस्था कराती है। इस का सतलब है कि वाजपयी जी को हमारी जुडी शियरी बर भी विश्वास नहीं है, वह समझते हैं कि भूड़ी-शियरी भी गवर्न मेन्ट से इन्फ्लुएन्स्ड हो जाती है। में इन से पूछता है कि स्थाम मलिक की हरबा के सिलसिले मे भगर नरुका साहब छोड़ दिए गए तो भरकार के पास ग्रीर क्या तरीका **\*** ?

मै एक बात और बतलाता हूं — ये स्मग्लसं खुद मास नहीं लाते, माल मंगवाते हैं। इस काम में 66 हजार कोग लये हुए हैं। इतना बढ़ा गुजरात का कोस्ट है — वैस्ट कोस्ट — कैसे इन्तजाम करेगे? यह कह देना बहुत प्रासान है कि सी० झार० पी० या बाई रिसक्योरिटी फोर्स को लगा दो, से किन इसने बढ़े समुद्री हिस्से पर कैसे लगायें ये — वह इतना झासान नहीं है। जो मास्टर-माइष्डेड झापरेंटर्स होते हैं, वे खुद नहीं पंकड़ें जो सकते,

## [श्री नवल किशोर शर्मा]

न्यॉकि वे खुद उस माल को नहीं लाते, उनके नौहर जा कर लाते हैं, इस तरह से बिना श्विडेंस के िसी भी मुकदमे में सजा नहीं हो सकती-इसी लिए नक्ला साहब वरी हो गये। इस तरह क लीग जिनके पास बड़े साधन हैं, सम्पत्ति है, जिन के बढ़े जर्ये है, उन के द्वारा होने वाली इस स्मान्तंग को बन्द करना है तो बतलाइये क्या रास्ता है ? मेरी समझ में यदि कोई रास्ता दिखलाई देता है तो यही रास्ता है जो सरकार न किया है और यह बात खाली सरकार की ही नहीं है--जैसा धभी वित्त मती जी कह रहे थे--ला कमीशन ने खुद यह कहा है कि इस तरह ंग्राफेन्सेज को रोक दे के लिए यह जरूरी हैं कि स्पेशन तरीके से, स्पेशन प्रीवन्टिव डिटेन्गन जैसी बीज का इस्तेमाल किया जाय।

हमारे मिल--वाजपेयी जी कह रहे थे कि साहब, यह बढी ज्यादती की बात है कि इस में लैकुना रह जाता है। खैकुना के कारण, ये लोग छूट रहे है। निवेदन करना चाहता हं--वम्बई हाई कोर्ट, मुखरात हाई कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट ने जो परसले किए हैं---वे सिर्फ लैकुना के प्वाइन्ट पर नहीं किए हैं -- प्रगर उन लोगों ने ऐसे आउन्ण्ड्स दिए हैं जो दो साल के बाहर के थे तो हाई कोटों का कहना था कि गिरफ्तारी के बाद नजदीक का कोई वाक्या या इंस्टन्स दिया जाना चाहिए। पहले की घटना के श्रधार पर डिटेन्शन को ला-फुल नहीं मानेंगे। इसी वजह से दूसरा ग्राडिन्नेन्स लाना बहुत जरूरी हो गया। हाई कोर्ट का यह कहना है कियो साल के भीतर या कोई इंस्टेंस होना चाहिए। इस लिए हमें ऐसे अधिकारों की जरुरत थी जो अनर्पैटाई हों।

इसलिए--मेरा यह कहना है कि यह बिल ऐसा बिल है जिसका इस सदन को और सारे Stat. Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

देश को स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे विरोधी दस इस बिल के खिलाफ भी विरोध प्रकट कर रहे हैं इस में भी राजनीति को धसीटना चाहते हैं।

सभापति महोदय एक बात और कहना चाहुंगा-यह सही है कि इस बिल के बाद इसे थार्डिनेंस के बाद देश में जो पकड़-धकड़ शह हुई उस से देश के ग्राधिक ढांचे में कुछ स्थिरता आई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है भीर मैं बडे खेद के साथ कहना चाहता हं--कि पिछले कुछ दिनों से इस एन्टी स्मिन्तिग ड्राइव में कुछ शिथिलता पैदा हो गई है. यह कुछ ढीला पड़ गया है । इस के बारे में में चाहता है कि सरकार कारगर तरीके से कदम उटाए। में बाजपेयी जो की बात का समर्थन करता हं-मुझे पता नहीं कि हमारे संविधान में इस तरह के किसी कानून का प्रावधान है या नहीं है कि श्राप स्मगलसे की जायदाद को जब्त कर सकें -- चाहे वह नामी होया बेनामी हो। भैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हं-कानून मे इस तरह का प्रावधान प्रवश्य होना चाहिए जिस से स्मग्लर्स की नामी या बेनामी जायदाद को जब्त किया जासके। ये स्मगलर्स हमेशा जेल में नहीं रह सकेंगे, साल—डेढ़ साल में इन को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इन को त्रिपल कर दिया जाय, पंगु बना दिया जाय । जितने साधन इनके पास हैं, जिनको ये स्मिंग्लंग में इस्ते-माल करते हैं, इनको छीन लिया जाय, अपने हाथ में ले लिया जाय।

इसलिए में निवेदन करना चाहूंगा— मेहरबानी कर के इतने से ही सन्तोष मत कीजिए, इन को पंगु बनाने के लिए कटोर कदम उटायें। ये लोग जिल्लाते रहेंथे, लिकन देश की जनता भाप के इन कामों का स्थाबत करेंगी—ऐसी मेरी मान्यता है, हेश्वा बेरा विश्वास है।

इव शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन कप्ता हूं भीर उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री इस कदमों को पीछे नहीं हटायेंके भीर तेजी से आसे की तरफ बढ़ेंगे भीर साथ ही साथ मो समाय दिए गए है उन पर भमल करेंने।

SHRI BHOGENDRA JHA (Jaitagar): Mr. Chairman, Sir, there could not be two opinions on the point that smuggling and foreign exchange racketeering has been such an important calamity to our economy and plaguing our politics also to some extent that any harsh step against this disease must be welcomed by all.

We have been told here that smuggled goods worth about Rs. 4 hundred crores are coming to the country annually. We have also read in the newspapers that the so-called smuggler kings—who have been counted 12 in number—are having a monthly income of Rs. 2 crores each.

In such a situation, I think, that even in this House, there should be no two opinions that stringent measures against this immoral and antinational activity must be taken. This crime is being practised with connivance and encouragement of the government officials and for this, the entire Government, particularly, the ruling party, cannot shirk their responsibility. This smuggling activity is being carried on on a wide-scale in our country with the tolerance and patronage or connivance of the officials. In such a situation, I would like to hear something from the Treasury Benches. They may say anything they want. But, with regard to a good conduct certificate given to Shri Haji Mastan by Shri Kanungo, what have they to say. This is a very interesting case. Also there are many cases. Even now there is a big smuggler in Bihar known as Shri Kam Deo Singh on whose head there is a reward of one lakh of rupees. Having committed fourteen murders he has not yet been arrested. He has got several trucks and several hundred armaments. In the last general election even his criminal gang started supporting the Congress (O) Party in capturing all the booths in the Begusarai Constituency. Even now, several ministers of the ruling party have been protecting him. He is now at large. Not because of lack of any law and not because of any lack of powers he could not be arrested. There is a reward of Rs. 1 lakh on his head. I challenge anybody whether they could send any force there to The Government will search him only get embarrassed if this is done. Several ministers are helping criminal gang. In the last bye-election his help was taken by them. The government itself is helping the monopolists in this country. It is helping them by using their black money in our country. In such a situation, even if a minor step is taken to curb this blackmarketing smuggling and foreign exchange racketeering. we. have to welcome that.

We know that this step that has now been taken is half-hearted. And, unwillingly, that step has been taken. Perhaps the Friance Minister has introduced an amendment just now. After six months or so, they are now going to appoint a person who is of the rank of the judge of a high court to review the cases involving smuggling after six months of detention

The amendment has been brought forward on behalf of the Government by the Finance Minister after this thing has gained a momentum. Is this for curbing the smuggling arti-

[Shri Bhogendra Jha]

vides of smugglers? Our apprehensions is that Government does not seem to be strong enough or does not have any will power to take a serious view of these things to put an end to the samuggling and foreign exchange ranketeering that are going on in this country. We have however, to welcome in this respect that the Maintoname of Internal Security Ordinance is being replaced by this Bill.

This Bill, as it is, is limited to the prevention of smuggling and conserva-

So there was danger and apprehension of wider misuse of MISA because the Ordinance was definitely misused despite assurance given on the floor of the House as has been unrated by Shri Huda. But here this Bill is limited only to smuggling and foreign exchange violations. This is a welcome thing. The very name of the Bill is a welcome departure from the ordinames.

But I would submit to the House that the wider perspective must be taken into account. If the Government is serious, the Finance Minister must withdraw the amendment which he has tabled and which has circulated because that amendment makes a mockery of the whole affair, because after six months have elapseds in the name of personal liberty things will be set in motion and there with the political bargaining behind the prison bars and they may be absolved of all the crimes they have committed and be allowed to be at large and commit the same crimes again.

In such a situation, I would submit that the present Bill is totally inadequate in the sense that it does not privide for total forfeiture of the entire wealth accumulated in the names of the smugglers or in benami

Stat. Resl. and Motion, re., MISA, and Prev. of Smug. Bill.

All that must beong to the names. State, to the 'country.' That is not provided for here, , As long as: they have money, they can fight. We have medical known how Bakhia got a certificate from a top heart specialist to the effect that if he were the see a policeman before him, he would dis-They can engage top barristers, to argue for them. In this society, with mency: you can have anything with unless this money is taken manufacture them, no effective action can be taken. The Bill does not even touch this pöint.

Similarly, there is another aspect. I would tell the members of the Opposition that we are the first victims of the tyranny and repressive measures of this Government. They say there is dearth of magistrates and officials to take care of the long coastline where smuggling activities take place But in my constituency, in the small district of Madhubani, 122 special armed police camps have been established about 20 days ago each manned by a magistrate They are looting the crops of share croppers and helping They are committing the landlords open armed aggression against peasants because we are implementing the Bhatedari Act and Land Reforms Act. Because of this, there is appression against our people.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: This is not correct.

SHRI BHOGENDRA JHA: This is constituency correct. Come to my and I will show you. Twentyfour of my colleagues have been municipal with the help of the police and ares, the mУ magistrates. In Syndicate, Socialists have all joined the ruling party. There is none outside. All the rogues are inside the ruling party. They have one dearth of armed men, no dearth of magistrates there. They are openly suppressing the people, looting, their crops and giving it over to the land-

jords illegally in violation of the Acts. These repressive measures I have narrated are in one constituency; 7,000 persons are either in jail or on bail or under warrant for defending the rights of tenants and sharecroppers and 4.000--the figure has been given by Government,—are being proceeded against under sec. 107 Cr. P.C. This is in one constituency. This is the magnitude of the repressive power of the Government.

But here when it comes to the question of smugglers what will happen to them? If the Members of the opposition mean what they say and if they really stand against smuggling they should support this Bill and they should fight to make it more stringent and stricter in form and content. must say that it must be made applicable in a more vigorous way. That should be our attempt, not what they have said here.... (Interruptions) after detention why shall they not be tried? In free India we have been under detention for years. The trial also was going on. So I have moved an amendment and I request the Finance Minister to examine my amendment number 29. After the confirmation of detention soon-afterwards or before the expiry of one year every person detained for smuggling or foreign exchange racket must be prosecuted in a court of law. If he is found guilty he will be sentenced to a term of imprisonment and this trial will help to unfold the political and beauracratic link that the smugglers have with the Government officers and other politicians. The cases of Shri Kanunge and Mohan Lal Sukhadia can be cited. There are several cases. I should like to be enlightened whether by the Finance Minister or by my friends of the Socialist Party about this matter. It is known that Mr. George Fernandes an ex-Member of Parliament has issued a statement in the Press that while he was a Member of Parliament he had written

a letter to the Prime Minister to give legal protection to Mr. Yusuf Patel. I should like that letter and the Prime Minister's reply there to be placed on the Table of the House. We should also like to know whether it was rejected and if so why?

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): That letter had been published in Prati Paksha and is available for public consumption. We are prepared to lay that on the Table of the House also.

SHRI BHOGENDRA JHA: I want that those who know more than myself should enlighten the House and the country on that point. I request that after detention there must be trial and my amendment must be accepted. The patronage of Ministers and politicians belonging to any party Or the officers must be brought out in public with all its remafication

When the smuggling activities have assumed such big proportion they have come here haltingly, hesitatingly and half-heartedly...(Interruptions) This is an honest capitalist Government, I know it. Many opposition parties are also capitalist parties and very honestly they are defending capitalism.

In many cases of acquittal of the detainee the ground cited is "detained on vague ground". In one case of Ranchi a smuggler was released by Supreme Court but Supreme Court openly said: We are very sorry; we do not want to be soft or lenient to the economic offenders but even after three months the order of confirmation was not sent. Shall or shall not the officers responsible for this be penalised or punished? They did it purposely and deliberately. grounds were left vague. In such a situation the country would like to know why it is being done like that.

I am giving one instance. In April this year at Jaya Nagar a town in Bihar on the border of Negal, a cus[Shri Bhogendra Jha]

toms inspector was coming with smuggled goods and he was caught red handed by some people and paraded in the whole town. On that very day four district Magistrates and the Commissioner of Dharbhanga Division and the Superintendent of Police were present in that place. People took that customs inspector with a blackened face and hair cut to those officers but they asked those people to hand him over to the Police. Later on the customs inspector with a blackened case against those persons that they snatched away the smuggled good from his custody. I asked a question here and it was replied too here. I know it personally and I am prepared to vouch for that, that the customs inspector was coming with smuggled goods. That is a fact. I should like to know from the Government whether the Government means business and whether it wants people's cooperation. A block development officer of Basonatti in Madhubani district of Bihar was suspended when he was found indulging in similar practices, after the people had caught him red-handed with smuggled goods. Fortunately I also reached that place in time. The people were there and the officer was The customs inspector suspended. could not be punished because he belonged to the Central Government.

#### 17.00 hrs.

On 25 January, 1974 one day prior to the Republic Day the President gave assent to the New Code of Cri-In section 110 of minal Procedure. that Act it has been provided that those violating the Foreign Exchange Regulation Act, Employees Provident Fund Act, Prevention of Food Adulteration Act, Essential Commodities Act, Drugs and Cosmetics Act etc. shall be proceeded against under section 110 Cr. P.C. I should like to know from the hon. Finance Minister whether a single person in the whole of India has been proceeded against under that section, in any State or Union

Territory or Centrally Administered area. That section is meant for those engaged in livelihood. I presume that not a single person had been proceeded against. Some persons here say: we are sorry but how was this clause accepted at that time; they could not give attention to it. I have talked to some Ministers and they ask how this law was passed. If defaulters against Employees Provident Fund Act, could be proceeded against in this way most of the factory owners and capitalists would be punished. Whatever legal measures are there are not being applied. Naturally a suspicion arises: what is the need for this when you have in your hands powers under existing enactments?

This Bill in so far as it goes is welcome and is in the right direction, but it is utterly inadequate.

AN HON. MEMBER: It is contradictory.

SHRI BHOGENDRA JHA: Naturally even in fury, we cannot become the agents and stooges of smugglers and foreign exchange racketeers. I have told you how I am suffering in my constituency such repression the like of which has not taken place anywhere else. But even in anger, I am not prepared to act as an agent and stooge of the smugglers. This gives an opportunity to the patriots; even if the Government does not help, people will catch hold of these smugglers and hand them over to the officers. If they do not arrest them, we will gherao them. Here is a legal measure. I have already made clear their hestiation and half-heartedness. But this gives a whip in the hands of the people.

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): In the hands of the Government,

SHRI BHOGENDRA JHA: In the case of some smugglers in Darbhanga, Madhubani and other places, the people helped in catching hold of the

# 293 Stat. Resl. and AGRAHAYANA 12, 1896 (SAKA) Stat. Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill Prev. of Smug. Bill

smugglers. Every citizen should help in enforcing the law. In my area, we have implemented some aspects of the Land Reforms Act, whether the Ghafoor Ministry implements it or not and we are prepared to face the consequences. Our patriotic duty is not dependent upon the goodwill of the Government. Even if they hesitate and falter, we will act. Even this step which they have initiated is not because of any change of heart on their part; it is because of public pressure and mass movement. are utterly dissatisfied with the inadequate, halting, hesitating and halfhearted measures Government have been taking. There is a feeling in the country that after Shri Subramaniam has taken over Finance Ministry, the anti-smuggling operations have slowed down. It may be misplaced, but that feeling is there. It can be removed only through action through words or statements in the House. If the Government wants to convice the people, it should initiate action so that the scourge of smuggling and foreign exchange racketeering are eliminated for the good. Otherwise, the people will reject them. This measure will have to be implemented in all seriousness and with speed, after removing the lacunae and accepting some helpful amendments which we have given notice of.

भी वरबारा सिंह (होणियारपुर) : नेयरमैन साहब, हाउस के सामने जो ममला लाया गया है, उसकी महमियत बहुत ज्यादा है भीर सारे हिन्दुस्तान के लोगों की मांखें उसकी तरफ लगी हुई हैं। कुछ दोस्तों ने कहा है कि यह माडिनेंस नहीं लाया जाना चाहिए था क्योंकि इसके मातहत ऐसे लोगों को बांध दिया जाता है, जो उसके मुम्नहक नहीं होते हैं, भीर उन्हें जान-बूझ कर, नाजायज त पर बांधा जाता है।

सारे हिन्दुस्तान में यह ग्रावाज उठी कि स्मग सिंग को रोकना चाहिए । मैं यह ग्रजें ६ उना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जो झन-डिजायरेबल एिन्मेंट्स एक्जिस्ट करते हैं, प्रमुख्य हमने उनको ख़त्म करना है, तो ख़ाख़िय बही से तो शुरू करना था। शुरूद्मात करने के लिए सरकार ने यह जो कदम उठाया है, बानूस में जो लूपहोल्ज थे, उनको बन्द करने के लिए सरवार ने जो ख़ाडिनेंस जारी किया है, बजाये इसके वि उस की मताईण कीजिये, मामले को भाइडड़ेक करने की कोणिण की जा रही है।

कुछ दोम्तों ने कहा कि फलां ब्रादमी को इमलिये बांधा गया कि कोई सरकारी ग्रफ़सर उसके खिलाफ़ था । मैं समझता हं कि वे दोस्त सरकार से यह पूछ सकते हैं कि मीसा के मातहत जिन लोगों को जंल में डाला गया है, उन्होंने क्या-क्या जुर्म कियं हैं। यह भी कहा गया है कि फलां स्रादमी के घर से कुछ नहीं निकला। लेकिन यह तो फ़्रीक्ट है विः वह ब्रादमी हिन्द्रनान भर में बदनामतरी ग्रीर नाटोरियस है कि वह सोने ग्रीर दूसरी चीजो की स्मगलिंग करता है ग्राँर उसन करोड़ों रुपयों की जायदाद बना ली है। द्रशर वह पथड़। जाय, ग्रीर उसके घर से कुछ न निकले, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह नेव नाम है ? उन तस्व रों की मदद करने वाले जितन तत्व है, उनको यह समझ लेना चाहिये नि सरकार कभी भी इस अदम से पीछे हटने वाली नही है।

मैं तो इस हक में हूं कि जो लोग यह धंधा ब रते है, जिन्होंने अपनी आमदनी के जायजा जरायों से ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली है, उनके पास से जो कुछ निकलता है, उस को जब्त कर लेना चाहिये।

Stat, Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

## [श्री दरबारा सिंह]

जहां तक इस बात का सवाल है कि
कुछ लोग ग़लत तौर पर पकड़ लिए गए हैं,
मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि डिपुटी
कमिक्तर और एम० डी० एम० वग्नैरह नी के
की सतह के जिन अफ़सरों को ऐसे लोगों को
पक्ड़ने की ताकत दी गई है, उनकी नीयत पर
कोई गुबहा करने की गुंजाइश है। लेकिन
हो सकता है कि टाइपिंग में, यह किसो और तरह
को ग़लती हो गई हो। हां, अगर कोई गिरफ्तारी
गेलीटिकलो मोटिबेटिड हो, तो मैं उस के
एकत ख़िलाफ हूं। मगर मैं समझता हूं कि
इस तरह की कोई गिरफ्तारी पोलीटिकलो
गेटिवेटिड नहीं है।

### 7.14 hrs.

[SHRI VASANT SATHE in the Chair]

कोशिश यह की गई है कि जो लूपहोल्ख पिकास्ट करते हैं, उनको बन्द कर दिया जाये। गैर मैं समझता हूं कि इस तरह के आर पूपहोल्ख को बन्द करने के लिए अगर सरकार गैर कोई प्राविजन लायगी, तो यह हाउम असका साथ देगा। जो लोग इसडाइरेक्टली हि साबित करने की कोशिश करते है कि रकार की कमियों के वायस उन लोगों को कड़ा जा रहा है, जिनको रही पकड़ा जाना गिहए, वे इसडायरेक्टली इस बात को स्पोर्ट रते है कि तस्करों को नहीं पकड़ना चाहिए।

यह एक बात दो तोन साहब जो बाले हैं न्होंने इनडायरेक्टली सिद्ध करने की कोशिश ी है कि तस्कर जो हैं उन पर बहुत रहम रती चाहिए ! मैं समझता हूं कि गवनेमेंट ो बड़ी सबती से मोर वगर किसी झिझक इस काम को करना चाहिए ! मैं समझता कि सभी बील है ! सरकार को सीर ज्यादा जी से इस चीज को करना चाहिए ! जितना ो सोना चांदी या स्पया पैसा निकला है उस से

कहीं ज्यादा भभी पड़ा है, उसको निशालने की जरूरत है। इसलिए ज्यादा सब्ती से. ज्यादा तेजी से भीर जैसा यहां कहा कि बी एस एफ किस चीज के लिए है, ऐसी पुलिस जितनी भी है उस को इस बात के लिए लगाइए। भाप उनको पशडन के लिए नई बोटस लाए हैं. श्रीर लाइए, पकड़िये उनको रास्ते में, जहां से चोरी ६:ग्ते हैं वहां से पकडिये श्रीर जहां जहां बेचते है वहां से पनाइए। मैं उनकी नोटिस में लाना चाहता ह कि लाने वाला श्रकेले मस्तान ही नहीं है, मस्तान के नीचे एक मारा भिस्टम, भाग भागभाइजेगर जो बनाया हथा है उसकी नोडिए । . . . . (व्यवदानः) . . . . . मैं यह कह रहा हूं कि उ: लोगों का जो कि एयः आर्गनाइजेशन बना हक्या है, वे जहा तक बच जाते है उस हद तक इस भारी चाज को डिसमैंटल परने की जहरा है क्यांबि ग्रमा तक बहुत सं लोग वाव मं यव हु १ है, उा लोगों को भा माना के अन्तर्गत आपको परहका होगा। कुछ सुबां में ढोल है। उन ढोल को ग्रापको सिकालना चाहिए । कुछ लोग उलटा ाह रहे है कि इसको बयों लाए है ? मैं कह रहा हू कि इसमें भी सख्त लाना चाहिए आर इस देश के जितने भो ऐसे यदनाम किस्म के ब्रादर्मा है सब को ब्रन्दर करना चाहिए। ये कोई चोधरी है जो के पिटलिस्ट बन्ना चाहते है इस ढग सं ? वे चाहते है कि सियासत पर हम काब कर रले, वे चाहते है कि सारे समाज पर इनका कब्जा हो। ग्राज जितनी भी बुराई, खराबी मोर दुनिया भर को कैरक्टरलेस चीजे होता है वह इस दालत के मार्फत होता हैं जो इस तरह से अमाई जातो है। इसलिए एंसी दोलत को खत्म करना चाहिए।

मैं इनको यह सुझाना चाहता हूं कि यह सारे हिन्दुस्तान का मसला है। किसो एक पार्टी का मसला नही है। एक पार्टी के मसले को लेकर आप किसा को जस्टीकाई या अनजस्टो-फाई करने की कोशिश न करें। मैं तो यह 297 Stat. Resl. and AGRAHAYANA 12, 1896 (SAKA) Stat. Resl. and
Motion re. MISA and
Prev. of Smug. Bill
Prev. of Smug. Bill

समझता हं कि देश भर में मब लोगों को इकटठे हो कर इस बात को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए । धगर यह खत्म हो जाए तो तमाम बुराइयां जो इस से झौर पैदा होती हैं वह भी खत्म हो सकती है। यह नयना नहीं है जहर है जो लोगों में दाखिल किया जा रहा है। उस जहर को निशालने के लिए अपने बहत भ्रच्छ। कदम उठाया है भीर जिलनी जल्दी ग्राप ग्रीर लोगों को पकड़े उनना ही 'ग्रच्छा है। ग्रभी बहत मे ग्रीर लोग हैं। एक तो इसमें वह लोग है जो मो :। चादो लाते हे वोटम में, एक वह है जिन्होंने भ्रयन महल बना लिन है और वह महल भी उस पैस के है व उनके ऊगर इनकम टैक्स वालां को पूछना वाहिए। वेलोग ऐसे हैं कि जिनके पान न उनका पेणा है न उन्हा काम है न उर्ा कोई ताम है न उनकी जमीत है न खाओ मा गाहि न उनकी दुशान है लें कि लाखो करोड़ा घरना उनके पास से निकल कर दूरां के बास जाता है। उनके हाथ भी बंधने बताइये। ग्राट्टम पमाजबाद में यकीन करने है तो लाजमा गेर पर ऐसे आदमी पर हाथ डालना पडेगा जो इससे बचे हए है।

में प्राप के खिलाफ़ यह कह म : ना हूं के प्रापंन तेजा में काम नहीं किया, लेकिट जो धाम किया है, यह प्राडिनेन्स लाय हैं, इसकी जल्दी से पास करके प्राये काम बढ़ाइये। उसमें प्रथर कभी है तो प्रयोजीशन वाले उस अमी को सामने लायें, उस को दुहहस्त कर पक्ते हैं तो फिर क्यो न किया जाये। प्रापंन नो समाज की बुराइयों को इस तरह से ठांक करने का तरीका प्रक्तियार किया है, बह बहुत प्रच्छा है प्रोर जो इसके खिलाफ़ बोलत है व डाइलेट्टी टेक्टिस से इसको दबाना बाहते है। वे इसे दबाये रही, इस को सपोर्ट करें प्रार प्रारेट कर की मानस्टर साहब का हाथ मजबून कारों।

\*The original speech was delivered in Tamil.

यह मीसा अकेले इन्हीं पर लगने बाला नहीं है, उन पर भी लगने वाला है जो लोग धन इन्हा करते हैं और एण्टी सोगल एलीमेंट्स जिलने मी है, सब को इसमें लाना चाहिए। दूरों लोग भी हैं जो दूसरे देशों को खबर देने वाले है। क्या वे मीसा में नहीं लाये जाने वाले हैं। क्या वे मीसा में लाने लायक हैं और जो दूसरे मुल्कों से आये हुए पैसे को इन्तेमाल कार्के उस देश के प्रजानन्त्र को, इन सनाज को, हमारों व्यवस्था को खत्म एउटा चाहते हैं उन की भा इनमें लाना होगा। यह बान नहीं है कि निर्म के लोग है। इन सारों चीजों की तरफ सरनार को अपनी आख करनी होगी आर तजी प नाम करना होगा।

\*SHRI J MATHA GOWDER (Nilgiris); Mr. Chairman Sir, at the very outset, I would categorically say that every one in this House wholeheartedly supports the presidential Ordinance invoking powers under the M.I.S.A. for arresting the smugglers and blackmarketeers. There can be no difference of opinion from any quarter in this House about the necessity for issuing this presidential Ordinance. But the main point of controversy is whether action taken under this Ordinance will help the ruling Congress Party or the sagging economy of the country. I am of the view that the action taken against the smugglers under this Ordinance will help more the ruling Congress party than the people of the country by improvement in the economy.

I am surprised at the sudden enlightenment of the Central Government after 27 years of Independence about the existence of smugglers in our country and the need for stringent action against them. This enlightenment on the part of the Government

99 Stat. Resl. and DECEMBER 3, 1974 Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

[Shri J. Matha Gowder]

of India can also be compared with the enlightenment of Gautam Buddha. While Buddha did penance in the forest for long, the Government of India, while continuing in power, got enlightenment after 27 years of Independence. After two and half decades, the Government got the self-realisation that there is urgent need for issuing a presidential proclamation in this regard.

After all this sudden inspiration on the part of the Government, what do we find? In the Times of India dated 2nd December 74, there is a news item entitled SMUGGLERS ARE BACK IN BUSINESS. I quote:

"After lying low for a few weeks, smugglers in many important centres appear to be resuming their activities, a U.N.I. Survey reports"

The Government of India arrested these smugglers. They approached the Courts and got themselves released because of the legal lacunae. Now they have resumed their business in important centres. This has become possible herause of this helpless Government, because of the incompetence of this Government to tackle this menance. It is also because the leading lights of the ruling Congress Party have been the ministering angels of Otherwise, smugglers. could Coolie Mastan become Haji Mastan? The Government, during this long period, were fully aware of the smuggling activities in our country.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Any Mussalman who goes to Mecca becomes a Haji,

SHRI J. MATHA GOWDER: I know that. Coolie Mastan became Haji Mastan, because the Government of India issued the necessary Pass-port Stat. Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smuo. Bill

to him. Though the Government of India knew that he was a smuggler, yet they gave him the pass-port, enabling him to go to Mecca.

I will refer here to a photograph published in the latest issue of Blitz, cated 30th November 1974, which proves my contention that the ruling Congress Party Members were fully acquainted with the smugglers. This photograph shows Yusuf Patel, who has now been detained under MISA. The caption under this photograph reads as follows.

"Yusuf Patel (facing camera), now in detention under MISA...\*\*\*

MR. CHAIRMAN: Order, Order. The hon Member should not mention names without prior notice. This will not go into record.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Gowder, before reading out the name of a person who is not a Member of this House, have you given your intimation about it...

AN HON MEMBER: This is a news item.

MR: CHAIRMAN: Allegation is made under Rule 353. Let us go by the rule. You know it.

श्री जनेक्वर मिश्र (इलाहाबाद) : हाजी कुली मस्तान २१ नाम लिया जा सकता है या नहीं ? पटेल का नाम लिया जा सकता है या नहीं ?

सभापति महोबय: जिन लोगों को पहले ही प्रवाद लिया गया है, जिनके नाम पहले ही आ गये है, जनकी अलग बात है, उस की इजाजन है।

Even Government have placed them; that is not a secret. You see Rule 353. If you make allegation, 301 Stat. Resl. and AGRAHAYANA 12, 1896 (SAKA) Stat. Resl. and 302 Motion re. MISA and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill Prev. of Smug. Bill

that person has no opportunity to defend himself. Action against Blitz you may take outside. I am here trying to protect the interest of those persons not able to defend themselves here. That is the rule. No allegation should be made.

SHRI KRISHNA CHANDRA HAL-DER (Ausgram): Mr. Vajpayce mentioned the name of Kunungo, former Governor of Maharashtra. Nobody raised any objection. Mr. Deputy Speaker was in the chair and he did not take objection.

MR. CHAIRMAN: There is no question of interpreting the rule and all that. The rule is very clear. It says that 'No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker. You can do so provided you have given previous intimation to the Speaker. You know it. You can do so provided you have given previous intimation, That is all. You have not done that.

AN HON, MEMBER: This is not a new allegation.

श्री जनेक्बर मिश्र ग्राप यहां बैठ कर इस रूलिंग की कोट करने तो भ्रन्छ थ ।

सभापति महोदय लेकिन चेयर पर बैठ कर तो ज्यादा जिम्मेदारी हो उर्द है।

भी जनेक्बर मिश्राः वहा बँठ६°र ऐसान करें।

सभापति महोदय नियमों के मुताबिक चलने से सदल की कार्यवाही ज्यादा अच्छी होती , मैं आपका सहयोग काहना ह । Please do not do it...

SHRI DINESH JOARDER (Malda): During any discussion, members can do it and they are entitled to read out report of the newspaper.

MR. CHAIRMAN: Provided you give notice of such allegation. That notice is not given. Under the garb of reading news item you cannot make incriminatory and defamatory allegations against another person.

SHRI KRISHNA CHANDRA HAL-DER: There are cases where names have been mentioned. Another Member of the House has mentioned many names.

MR. CHAIRMAN: I am discharging my duty as a Chairman. I will go as per rules. Mr. Gowder, please don't do it

SHRI J. MATHA GOWDER: It is all reported in the newspapers; it is not a new allegation.

MR. CHAIRMAN: Then, why don't you give previous notice? I am not stopping you. You must have given previous notice, that you want to mention such and such name.

SHRI P. G. MAVALANKAR: I rise on a point of order. Is there ne difference between quoting from a report which is already published in any printed journal or newspaper and referring to some individual and his action on the basis of information which is in the exclusive possession of the Member himself? If the Member is in possession of certain information about an individual who is not member of this House, then you are right, the rule tells us that we cannot refer to him because we have not given due notice.

But what Mr. Gowder has been doing is merely giving out what has already appeared and published in a newspaper. That report which is printed has not been contradicted by the person against whom it has appeared. Therefore, I want to know whether you make difference between referring

Stat. Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill Prev. of Smug. Bill

Shri P. G. Malvankarl

to an individual on the basis of Meniber's personal information and the Member referring to any printed journal which is freely available to all and which has not been contradicted by the person against whom it has been printed.

MR. CHAIRMAN: The idea behind this rule is not about newspapers and other things. Here in this House, Members have certain privileges and they enjoy immunity for whatever they say. Therefore, for a healthy practice those who do not have an opportunity of clarifying and defending themselves the hon. Members must have some restraint. All that is required is you must give a previintimation-whether based on newspaper report or personal knowledge. Whatever may be the source if you want to name somebody you must give previous information. Therefore, I would submit, as that has not been done that is contradictory to rule. I would ask Mr. Gowder to withdraw.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Sir, can any member while discussing this Bill refer to Haji Mastan?

Yes. Mr. MR CHAIRMAN: Chatteriee would know Mr. Mastan's name has already come.

SHRI VAYALAR RAVI: . ..\*\*\*\*

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If any Member has given, without previous notice, the name of any one outside, who is not here, that will not be recorded.

(Interruptions)

SHRI J. MATHA GOWDER: Chairman, Sir, it is natural that one, who commits blunders, will easily get agitated and it is normal that Shri Vayalar Ravi, who belongs to such a party, should get agitated.

The Congress Party has been in power uninterrupted for the past 27 years at the Centre. Can anyone beheve that the Government were not in the know of the activities of the smugglers during all these years? Only to prove that the leading members of the ruling party were hobnobbing with the established smugglers, I referred to the photograph in the Blitz. Till the day of his arrest. Ram Lai Narang, a smuggier was a member of the Maharashtra Telephone Advisory Committee. Can it be contended that he became a member of the Maharashtra Telephone Advisory Committee without the connivance of both the Central Government and the State Government of Maharashtra. The ruling party had to extend such patronage to the smugglers because it was being favoured by these smugglers with several lakhs of rupees for the purpose of meeting the election expenses of the Congress Party every five years.

I will give you another example how the smugglers were being encouraged by the ruling Congress Party. Yusuf Patel, a well-known smuggler, who was nicknamed as the Pillar of the Congress, has now been detained under the MISA. When was this done? This was done after he gave insolvency, after he made benami transfers of all his property. It is widely believed that he was advised by the ruling Congress party members to become insolvent at the earliest as he was likely to be arrested under the M.I.S.A. Not only he got prior intimation about the likely arrest, but also the advice transferring all his assets and becoming insolvent before his arrest. If this had not been done, the Government could have seized all his property in public interest.

Similarly, I would also refer to what Haji Mastan had to say in an interview he had with Shri Shamim Stat. Resl. and AGRAHAYANA 12, 1896 (SAKA) Stat. Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill Prev. of Smug. Bill

Ahmad Shamim, M.P. This has been published in the *Illustrated Weekly* of India I quote:

"Half the wealth in our cities consists of black money amassed by Ministers, officials and leaders of various political parties. Politicians abuse me by day and come to me at night with their begging bowl, asking me to give them money to fight the elections. I dole out the money and smile to myself. If today I mention their names, there will be a sensation. They include Congressmen."

Haji Mastan has expressed this view to Shamim Ahmad Shamim that it would become a sensation if he divulged the names of Congressmen who had come to him for money for fighting the elections.

It is clear that the Government do not want the cases of the smugglers to be taken to courts. If they are taken to the courts, all the underhand dealings of the Congress Party will become public. That is why the Government are keen to detain the smugglers indefinitely under the MISA denying them even the fundamental right of going to a court of law Only to this the Opposition Leaders are objecting.

In conclusion, I have no hesitation in saying that the defective, deficient and wrong policies of the Congress Government at the Centre have led to the deteriorating economic chaos in the country.

श्री मूल चन्द्र हाया (पाली) सभापति जी, 17 सितम्बर की रात को जब एक सम्यादेश जारी हुआ तो जो तस्कर सम्याट थे, हाजी मस्तान, बाखिया और पटेल आदि, जो भट्टालिश्यमों में रहते थे भाज वह कहा है और कहा रह रहे हैं, इस बात को सारा देश जानता है। एक बहुत बडी बात हुई, इस प्रकार से सम्यादेश जारी हुआ कि लोगो को मालम नहीं हुआ कि तस्कर सम्याट, जिन्होंने

देण की ग्रर्थ व्यवस्था को बिगाड दिया था. उनको इस प्रकार से पकड़ा जायेगा । लेकिन ग्राज जब तस्करी को मिटाने के लिए एक कानून या रहा है तो लोग इसकी याड मे न जाने क्या क्या शिकार खेलना चाहते है। में नहीं कहता कि भारत में ही तस्करी होती है। दनिया के सभी देशों में तस्करी होती है. ग्रीर तस्करी की बीमारी ग्राज की बीमारी नहीं है बल्कि बहुत पूरानी है, सैकडो सालों से तस्करी होती भायी है। लेकिन भाज लोग की वड उछ।ल रहे है यह कह कर कि फलाने का हाथ था, दिकाने का हाथ था। मै पूछना चाहता ह कि जब तस्करों ने इस देश में 27 माल से बराबर काम किया तो कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जिसने सरकार की यह कहा हो कि हम इस तस्कर सम्बाट को पक्डाना चाहते है ? ग्राज ग्राप सभी कहते हैं कि तस्करों की सरकारी ग्रधिकारियों से जानपहचान थी। लेकिन इसके पहले क्या किमी राजनीतिक पार्टी ने उन तस्करों के बारे में बिसी की शिकायत की ? जब 17 सितम्बर के बाद भारत सरकार ने तस्करो को पकड़ना गरू किया तब भापका याद श्राया कि तस्करों की लोगों से जान-पहचान है। किसी ने कुछ कहा और किसी ने किसी भ्रन्य नेता का नाम लिया। देश में कई सरकारे बनी, मविद सरकारे भी बनी, लेकिन क्या किसी मरवार ने उन तस्करों की बाबत कोई शिकायत कभी भारत सरकार को कि यह व्यक्ति तस्करी करने वाला है। क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने ग्रपने घोषणा-पत्र मे कहा कि जिसके पास तस्करी का माल होगा उसको अपनी पार्टी का मेम्बर नही बनायेगे ? किसी ने नहीं कहा। मैं मानता ह मनष्य में कमजोरिया है, जो कोई भी बाहर जाता है तो प्रपने साथ तस्करी का सामान लाता है। वेद्रध के धुले हुए बनना चाह है। किस के घर में नहीं है ? श्रापके घर में नहीं है ? कान्न यह होना चाहिये कि फलां तारीख

Stat. Resl. and

Prev. of Smug. Bill

[श्रीमृल चन्द डागा] तक सभी ऐसान करें कि किस के पास तस्वार का माल है, बाहर से मगाया हुआ माल है। उस तारीख के बाद विसी के पाम भी प्रभर यह माल पाया जाए तो उनको भजा होती चाहिए।

ग्राप यह देखे कि तस्करों ने मन्दिर भी बनवा दिए है, मस्जिदे भी बनवा दी है। हाजी और पंडित वे बन गये हैं क्योंकि धर्म का काम उन्होंने किया है। लेकिन क्या धर्म ने उनको यह भिखाया था कि ूम तस्करी का काम करो। जो राजनीति में है क्या उन्होंने इन लोगों के खिलाफ़ क्या कछ किया? धर्म के ठेकेदारों ने कछ कार्रवाई की जो हाजी बन गए, पंडित बन गए, टीना लगाने लग गए ? इतने सालों तक क्या उनको पता नही लगा विः इस प्रकार के राष्ट्र द्रोही नाम वे कर रहे है। राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे है, राष्ट्र को गडढे में धकलने का काम कर रहे है। हाजी मस्तान और यसफ पटेल या कोई और हो बिसने इनसे चन्दे लिए है ? रात के अन्धेरे में विक्रने चन्दे लिए है ? लिए है तो गलत है नही है ? फिर अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वान्य बनाया जाता है तो क्या उसको ग्रापको स्पोर्टनही करना चाहिये। मुझे मालुम है और कई बार इस सदन में इसकी चर्चा ग्राई है कि नयनमल पूजा जी ने 28 लाख रुपया या 26 लाख जो मोहनलाल मुखाड़िया को दिया था वह एक साध ने दिलवाया था अकाल के वक्त धान उससे बंटा था घीर इसके पीछे भी एक साध का ही हाथ था। वहा ग्रसेम्बली में भीर यहां भी इस पर वाद विवाद हमा था। उसके पीछे भी एक बड़ा भारी धर्म का ठेकेदार था। अब धर्म के ठेकेदारों की माड़ में जो स्मगलिंग होता हैं इसको रोकने के लिए भी म्राप कानुन, जो बनाने जा रहे हैं उसका भाप विरोध क्यों कर रहे हैं। जिस तरह के यहां भाषण किये गए हैं वे हल्के स्तर के मुझे

मालुम हुए हैं। यहां यह कहा जाता रहा है कि इन समालजं को मीका में क्यो गिरफ्तार नहीं किया जाता है. क्यो उसकी काम में नहीं लाया जाता है ? लेकिन जब उसके अन्दर कार्रवाई हई, हिन्द्स्तान से एक हवा बनी, मैकड़ो ग्रीर हजारो स्मगलजं को गवर्नमेंट ने उसके ग्रन्दर पकड़ा तो जब कुछ लोग छूट गए तो उसका इलाज क्या था ? यही था कि कोई कानुन बनाया जाए ताकि वे छूटे नहीं। ग्रब कहा जा रहा है कि चन्दे लेने ग्राप जा रहे है इलेक्शन में । मैं समझता ह कि इस तरह की हल्की बाते नही होनी चाहिये, जवान पर थोडा कटोल रखना चाहिये, कुछ संयम के माथ काम लिया जाना चाहिये। यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की मरकार उनमे चन्दे लेगी भ्रौर उसके बल पर चुनाव लडेगी । लेकिन क्या बाहर भी लोग ऐसी राय रखते है ? जब सरकार ने पहला कदम स्मगलर्ज के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, देश द्रोहियों के खिलाफ उठाया नो लोगो ने उसका स्वागत किया । लेकिन श्राप ग्रब इन्हीं लोगो की वकालत करने लग गये हैं भीर कहने लग गये हैं कि उनको उनके मूलभूत ग्रधिकारों में विचित न करो। उनको कहा इन ग्रधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ग्रापने यहा बार बार कहा है कि राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयो में हिस्सा लेने वालों को लैम्प पोस्ट पर खड़ा कर दीजिये भौर उनको गोली से उड़ा दीजिये। जब हम कहते है कि कानून के सिकंजे में उनको जकड़ा जाए ग्रीर उनको मौका दिया जाये कि वे भी भपनी बात कह सकें तो भ्राप कहने लग गये हैं कि राजनीति में भाग लेने वालों को म्राप इसमें फंसार्थेंगे भीर भ्राप इसका विरोध करते हैं। प्रव यह जो स्मगलर्ज के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया जाना है यह घाप लेंगे या हिन्द्स्तान की 56 करोड़ जनता लेगी। में समझता हं कि हिन्द्स्तांन की जनता तस्कर विरोधी कार्रवाईयों में सरकार के साथ है।

Stat. Resl. and AGRAHAYANA 12, 1896 (SAKA) Stat. Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

200 Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

श्रव श्रगर कोई उनके खिलाफ कानून बनाया जाता है तो म्रापको बताना चाहिये कि उसमें यह कमी है, यह गलती है भीर उसकी दूर किया जाये। भ्रध्यादेश जो जारी हुम्रा है उसके पहले मिरकार ने ठीक समझा कि श्रापको बलाकर श्रापमे बात करली जाये। मरकार ने भ्रापको कान्फिडेम में लेना चाहा था। लिया भी था। ग्रापको नाहियेथा कि भ्राप सरकार की इस काम में मदद करते, उस कान्न को भ्रमली रूप देने मे भ्रापको चाहिये था कि ग्राप महयोग देते । लेकिन ग्रगर इस ग्राड मे राजनीतिक उल्ल मीधा करने की कोशिश की जाये तो यह ठीक नहीं है। मैं चाहता था कि श्री बाजपेयी बिल पर कुछ बोलते। ऐसा वह करते तो अच्छा होता। उन्होने हर तरह की बात कही लेकिन एक गब्द भी नहीं बताया कि इस बिल में क्या क्या कमिया है। लेजिस्लेशन आपके मामने है। वह एक घटा बोले है। उन्होंने ख्वामख्वाह की बाते ही कही है, कहा है कि कुमारमंगलम वकील कैसे बन गए, एच० ग्रार० गोखले ने पत्न कैसे लिख दिया। इस तरह की बाते कह कर ग्राप समझते है कि ग्राप देश श्रीर दुनिया की सेवा कर रहे है, हिन्दुस्तान के सामने जो यह एक बहुत बड़ा मामला है उसका हल ग्राप निकाल रहे है। मै चाहता था कि श्री चटर्जी साहब जैसे लोग जो कान्त को समझते है भाषण देते । ऐसा नही समझना चाहिये कि वह कोई बड़ा मैदान है, रामलीला ग्राउन्ड है जहा भाषण दिया जा रहा है। इस बिल में क्या कमी है, यह श्रापकी बतलाना चाहिये था

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्राप यह बताइये कि भाव एमरजेसी जो लागू है उसको सपोटं करते है या नहीं करते है।

भी मूल चन्द डागा : ग्रापने इस बिल के स्टेटमेंट भाष भावजैक्टम एंड रीजन्ज मे लिका है:

"to provide for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange"

मै ममझता हं कि सारी जो चीजें है उनको भ्राप एक ही भौर इसी बिल में रखते। ग्रब कस्टम्ज के बारे में देफीनीशन की धापकी ढढना हो तो उसके लिए कस्टम्ज बिल देखना पडेगा, दूसरे एक्ट को देखना पडेगा और किसी भीर चीज को देखना हो तो उसको उस एक्ट में देखना पड़ेगा। प्रापको चाहिये कि सब चीजों को कंसोलिडेट करके श्राप एक जगह रम्बते ताकि कस्टम वगैरह के लिए दूसरा एक्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती भीर सुविधा हो सकती। ग्रापको देखना चाहिये था कि प्रफमरो को ही नहीं, लायजं को ही नहीं बल्कि ग्राडिनरी ग्रादमी को भी सुविधा होती ग्रीर सब चीजे उनको एक ही स्थान पर मिल जाती और ग्रलग ग्रलग एक्ट देखने की जरूरत न पड़ती । सभी डैफीनीशंब को कस्टम्ब. फारेन एक्सचेंज ग्रादि को इस बिल में ही स्थान देना चाहिये । ग्रापने डैफीनीशंज ग्रलग ग्रलग दी है।

फिर ग्रापने इसमे कहा है :

"specially empowered for the purposes of this section by that Government, may, if satisfied, with respect to any person ... "

म्रापने पावर दी है ज्वायंट सैक्ट्री मीर मेकोटरी को स्टेटस में डिटेंशन मार्डर इश करने की बाबत । श्रद उनको क्या देखना चाहिये । यह देखना चाहिये कि प्राइमा फेसी एपीयर्जलाइक दिम ग्रारनाट एंड नाट सेटिसफाइड । धगर सरकार सेटिस-फाइड है, तो फिर जज ग्रीर एडवाइखरी बोडं किस बात की सैटिसग्रीक्शन करेंगे ? मेरा खयाल है कि यहां "एपीयर" या "प्राइमा फ़ेसी" होना चाहिए । "सैटिसफम्राइड" **हो**ने से बडी दिक्कत होगी।

Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

SHRI P. G. MAVALANKAR: Mr. Chairman, Shri Vajpayee, while moving his statutory resolution, has very ably put forward the case of people like us who feel very strongly that effective, timely and urgent action must be taken against smugglers but the way in which the Government have come forward with this Ordinance, the Presidential Order and the proposed Bill have been far from satisfactory.

Many members from the Congress benches have been chiding us and asking whether we are pleading for fundamental rights for the smugglers. Let us not talk in childish and mischievous terms. Nobody in his senses will ever say that the smugglers should be protected. As a matter of fact, smuggling has been going on in this country because of the party in power. It is the party in power which has been the beneficiary of this anti-national, anti-social, anti-

Stat. Resl. and Motion re. MISA and Prev. of Smug. Bill

patriotic activity which has been going on for the last so many years. On top of all that, these hon. gentlemen in auch a shameless way abuse us for the pleading for the rights of the smugglers when we are in fact discharging our democratic duty of protecting the fundamental rights of the citizens The question is whether we are really sincere about certain provisions of our Constitution. Did the constitution-makers ever dream that this Government will pervert and twist the provisions relating to emergency?

MR CHAIRMAN: The hon. Member may continue his speech tomorrow.

18.00 hrs.

VVI

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 4, 1974/Agrahayana 13, 1896 (Saka).